कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, शेखपुरा
जिला– शेखपुरा

A-D
18.12.17

पत्र
15 DEC 2017
प्राप्ति तिथि

महाशय,

नगर परिषद, शेखपुरा के वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 700 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14697 / 302 दिनांक– 06.12.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, शेखपुरा

पत्र पंजी
18 DEC 2017
12413
संख्या

6/12/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या :–700 / 17–18

भाग–1

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर परिषद–शेखपुरा	
2	लेखा की अवधि	2015–16 से 2016–17	
3.	विस्तृत जाँच का माह	अगस्त 2015 एवं मार्च 2017	
4.	लेखापरीक्षा का विस्तार	तेरहवां / चौदहवां वित्त आयोग, चतुर्थ / पंचम राज्य वित्त आयोग, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, मुद्रांक शुल्क मद से ली गई योजनाओं से संबंधित रोकड़बही, बैंक पासबुक, योजना अभिलेख, योजना पंजी, होल्डिंग रसीद, विविध रसीद, सैरात बंदोबस्ती पंजी, अग्रिम पंजी एवं भुगतान अभिश्रव। अप्रैल 2015 से अद्यतन (08.08.2017) तक की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई।	
5.	लेखापरीक्षा की अवधि	03.08.2017 से 18.08.2017	
6	**प्रशासन**	**नाम**	**अवधि**
	(क) अध्यक्ष	1. श्रीमति पिंकी देवी	01.12.2015 से 31.03.2017
	(ख) उपाध्यक्ष	1. श्री अजय कुमार	01.12.2015 से 31.03.2017
	(ग) कार्यपालक पदाधिकारी	1. श्री ज्ञान प्रकाश 2. श्री सुनील कुमार	22.07.2014 से 31.08.2015 31.08.2015 से 31.03.2017
7.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री महेश प्रसाद, वरीय लेखापरीक्षक 2. श्री रामनाथ प्रसाद, पर्यवेक्षक 3. श्री नीरज कुमार–IV, स.ले.प.अ. (03.08.2017 से 12.08. 2017 तक)	
8	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	श्री अरूण कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी	

9	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।
10	लेखापरीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
11	क्या आपत्तियों पर विचार विमर्श हुआ?	हाँ, दिनांक–18.08.2017 को अंकेक्षण आपत्तियों पर कार्यपालक पदाधिकारी से विचार–विर्मश किया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

(Disclaimer Certificate)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई **नगर परिषद–शेखपुरा** के द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

पर्यवेक्षक

भाग–II (क)

शून्य

भाग– II (ख)

कंडिका (1): निधियों का अवरोधन– रू0 96.20 लाख

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम–343 के अनुसार, प्राप्त अनुदानों का उपयोग एक निश्चित समय–सीमा में किया जाना चाहिए तथा यदि संस्वीकृति प्राधिकारी के द्वारा कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई हो तो अनुदान राशि का व्यय तार्किक समय के अंदर किया जाना चाहिए एवं अनुदान की अव्ययित राशि सरकार को प्रत्यर्पित कर दी जानी चाहिए। आगे, बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–69(9) के अनुसार, अनुदान प्राप्ति की तिथि से तीन वर्ष से अधिक अवधि से बची अनुपयोगित राशि को उनको लौटाया जाएगा जिससे अनुदान प्राप्त हुआ था।

नगर परिषद–शेखपुरा द्वारा उपलब्ध कराए गए सहायक रोकड़बही एवं बैंक पासबुक की जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं/मदों के अंतर्गत कुल रू0 96,19,924.00 राशि अनुपयोगित पड़ी हुई थी। उक्त योजनाओं/मदों में विगत कई वर्षों से कोई व्यय नहीं किया गया था और न ही अनुपयोगित निधियों को अनुदान संस्वीकृति प्राधिकारियों को वापस किया गया था। विवरण निम्न है–

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	31.03.2017 को रोकड़बही अंतशेष (रू0)	बैंक खाता में अद्यतन अवशेष राशि (रू0)	बैंक का नाम एवं खाता संख्या
1.	10वां, 11वां, 12वां वित्त आयोग	9,82,203.00	–	पी.एल. खाता
2.	13वां वित्त आयोग	44,40,895.00	23,67,505.00	भारतीय स्टेट बैंक–9089825
3.	कबीर अन्तयेष्टि	10,67,068.00	–	बैंक ऑफ इंडिया–36637 (आंतरिक संसाधन)
4.	ई–गवर्नेंस	3,17,210.00	3,20,304.00	बैंक ऑफ इंडिया–10577
5.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती कार्यक्रम	12,74,888.00	12877462.00	भारतीय स्टेट बैंक–70497
6.	(+2) विद्यालय भवन निर्माण	15,37,660.00	15,22,642.00	भारतीय स्टेट बैंक–43958
	कुल	**96,19,924.00**		

उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1 में वर्णित 10वां, 11वां, 12वां वित्त आयोग मद की राशि पी.एल. खाता में संधारित की गई थी जिसमें कई अन्य मदों की राशि भी शामिल थी। इसी प्रकार, कबीर अंतयेष्टि मद के बैंक खाते में आंतरिक संसाधन मद की भी राशि सम्मिलित थी। अतः इन मदों में बैंक खाते में अद्यतन अवशेष राशि का पता नहीं चल सका।

जवाब में बताया गया कि उपरोक्त तालिका के क्र.सं. 1 में योजनाओं से कटौती के रूप में सुरक्षित अवशेष है एवं क्र.सं. 2 में शेष राशि पर कार्य प्रगति पर है। कबीर अंत्येष्टि की अवशेष राशि के संबंध में बताया गया कि मृतक के परिवार को मृतक की मृत्यु के उपरांत इस राशि से लाभ दिया जाता है एवं ई–गर्वनेंस की राशि का कार्यालय में उपयोग किया जा रहा है। उपरोक्त क्र.सं. 5 एवं 6 में अवशेष राशि संबंधित विभाग को वापस करने की कार्रवाई की जा रही है।

जवाब के आलोक में उपरोक्त योजनाओं की अप्रयुक्त राशि को संबंधित विभागों में जमा कर साक्ष्य अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

कंडिका (2): <u>भविष्य निधि की कटौती राशि सम्बन्धित कर्मियों के खाते में जमा नहीं–रू0 4.24 लाख</u>

नगर परिषद, शेखपुरा के वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लेखापाल की रोकड़बही की नमूना जॉच एवं उपलब्ध कराए गए विवरणी के अवलोकन में यह पाया गया कि जून 2015 से जून 2017 के दौरान नगर परिषद के 15 कर्मियों के वेतन विपत्र से कटौती की गई भविष्य निधि की कुल रू0 4,23,508.00 राशि को सम्बन्धित कर्मियों के भविष्य निधि खातों में जमा नहीं किया गया था। विवरण निम्न है–

क.सं.	कर्मचारियों की संख्या	कटौती की अवधि	कटौती की राशि (रू0)
1	15	जून 2015 से दिसंबर 2015	1,31,690.00
2	15	जनवरी 2016 से अक्टूबर 2016	1,79,306.00
3	15	नवंबर 2016 से जून 2017	1,12,512.00
कुल			**4,23,508.00**

उपरोक्त कटौती की गई रू0 4,23,508.00 राशि को संबंधित कर्मियों के भविष्य निधि खातों में जमा नहीं किए जाने के कारण संबंधित कर्मचारियों को भविष्य निधि की राशि पर प्राप्त होनेवाले ब्याज के लाभ से वंचित होना पड़ा।

जवाब मे बताया गया कि भविष्य निधि की कटौती की गई राशि यथाशीघ्र पी.एफ. खाता में जमा कर दी जाएगी। भविष्यि निधि की कटौती की गई राशि संबंधित कर्मचारियों के पी.एफ. खाते में यथाशीघ्र जमा की जाए ताकि उन्हें भविष्य निधि राशि पर प्राप्त होनेवाले ब्याज के लाभ से वंचित नहीं होना पड़े।

कंडिका (3): <u>विलंब शुल्क की कटौती नहीं किया जाना– रू0 0.29 लाख एवं अन्य अनियमितताएँ</u>

नि0आ0सु0 सं0/वर्ष एवं मद का नाम	10/15-16, Group 20 (14वीं वित/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग)
योजना का नाम	वार्ड सं0 20 में रंगू साव से राम साव के घर तक ढक्कन सहित नाला निर्माण
प्राक्कलित राशि (BOQ की राशि)	रू0 2,94,300.00
तकनीकि स्वीकृति	अनुपलब्ध
एकारारनामा राशि (on BOQ rate)	रू0 2,94,300.00
एकारारनामा सं0 एवं मापी पुस्त सं0	19/F_2/2016–17; मापी पुस्त सं0 .....
संवेदक का नाम	श्रीमति मंजूला देवी
कार्यादेश की तिथि	दिनांक–10.05.2016
कार्य समाप्ति की अवधि	3 माह
कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	दिनांक–14.10.2016

<u>लेखापरीक्षा आपत्तिः</u>

(i) एकरारनामा प्रपत्र 19 F_2 के Clause 2 के अनुसार कार्य समाप्ति में विलंब हेतु प्रत्येक दिन के लिए प्राक्कलित राशि का ½ प्रतिशत एवं अधिकतम 10 प्रतिशत Compensation राशि विलंब शुल्क के रूप में संवेदक से वसूल किया जाना था। संवेदक द्वारा उपरोक्त, कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि से लगभग 60 दिनों के विलंब से पूर्ण किया गया था, परंतु, नगर परिषद कार्यालय द्वारा विलंब शुल्क की कटौती नहीं की गयी थी। इस प्रकार, विलंब शुल्क के रूप में रू0 29,430.00 (2,94,300 का 10%) की कटौती नहीं कर संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

(ii) निर्माण सामग्री की ढुलाई पर अनियमित भुगतानः– अभिकर्ता या संवेदक द्वारा यदि लघु खनिज का क्रय किया जाता है तो बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा विपत्र के साथ लघु खनिजों का विवरण प्रपत्र 'N' में तथा शपथ पत्र प्रपत्र